रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] दिल्ली, बुधवार, जनवरी 11, 2017/पौष 21, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 303

No. 05] DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 11, 2017/PAUSA 21, 1938 [N.C.T.D. No. 303

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सं. फा. 12(508)/पर्या./मांझा पर प्रतिबंध/2015/64-81.—जबकि, भारत के संविधान के अनुछेद 48–क में अन्य बातों के साथ–साथ पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा पर विचार किया गया है। राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्यजीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा;

और जबकि, पतंग उड़ाने के दौरान लोगों तथा पक्षियों को प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की अन्य सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित धागे जिसमें ''चीनी धागा/मांझा'' नाम से प्रसिद्ध धागे या अन्य धागा जिस पर शीशे/धातु का कोई घटक लेपित किया जाता है, से पक्षियों तथा लोगों को काफी चोटें लगती हैं। ये चोटें कई बार प्राणघातक सिद्ध होती हैं जिससे लोगों तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। अतः प्लास्टिक, नायलोन या इसी तरह की सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित धागे जिसमें चीनी धागा/मांझा नाम से प्रसिद्ध धागे या कोई अन्य धागा जिस पर शीशे/धातु का कोई घटक लेपित किया जाता है, के प्राणघातक दुष्प्रभाव से लोगों तथा पक्षियों को बचाना अपेक्षित है

और जबकि पतंग उड़ाने के दौरान पतंग प्रतियोगिता या अन्य तरीके से आसमान में अनेक पतंगें कट जाती हैं। यह कटा हुआ धागा पतंग के साथ जमीन पर पड़ा रहता है। प्लास्टिक सामग्री की लम्बी जीवन अवधि तथा गैर–विघटनशीलता होने के कारण इस प्रकार के धागे पर्यावरण की दृष्टि से चिन्ता का विषय है ;

और जबकि इन गैर–विघटनशील व विधुत सुचालक पतंग उड़ाने वाले धागों के व्यापक प्रयोग से अक्सर बिजली की लाईनों तथा सबस्टेशनों पर बिजली कट जाती है जिससे उपभोक्ता की बिजली कटौती होती है, विद्युत्तीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, दुर्घटनायें होती हैं, चोटें लगती हैं और जीवन हानि होती है;

और जबकि, यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रातः छः बजे से आठ बजे और सांय पांच बजे से सात बजे के दौरान पक्षियों की गतिविधियां अधिकाधिक होती हैं तथा यह वांछनीय है कि गिद्धों, जिन्हें दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के साथ अन्य पक्षियों को इस प्राणघातक पतंग उड़ाने वाले धागे/मांझे से बचाकर रखने की आवश्यकता है;

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 667(अ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2016 को राजपत्र में सं.फा.:12(508)/पर्या./मांझा पर प्रतिबंध/2015/3494–3510 के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी एवं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर सभी संबंधितों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जबकि, उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया।

अब इसलिए, मानवता, पशुधन, पक्षी, मृदा और पारिस्थितिकी पर होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 667(अ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्न निर्देश देते हैं:–

निर्देशः–

1. नायलोन, प्लास्टिक अथवा अन्य किसी सिंथेटिक सामाग्री से विनिर्मित पतंग उड़ाने वाला धागा जिसमें कि "चीनी मांझा" के नाम से प्रसिद्ध तथा ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार हैं या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से लेपित कर पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति , आयात एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
2. केवल सूती धागे, जो कि किसी धारदार धातु/शीशे के घटकों/चिपकाने वाले पदार्थो/धागे को मजबूत बनाने वाली सामाग्रियों से रहित हैं, उन्हीं से ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

प्राधिकृत अधिकारी

इस अधिसूचना को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है, नामतः :–

1. राजस्व विभाग , राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, तहसीलदार तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
2. वन एवं वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन्यजीव निरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
3. दिल्ली पुलिस के उप–निरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारी।
4. दिल्ली नगर निगमों के सफाई निरीक्षक ,सामान्य लाइसेसिंग निरीक्षक तथा जन स्वास्थ्य निरीक्षक।

निगरानी :–

अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) तथा संबंधित क्षेत्राधिकार के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, जिन्हें कि पहले से ही अद्यतन संशोधित अधिसूचना संख्या 349(अ) दिनांक 16 अप्रैल, 1987 द्वारा सशक्त किया गया है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं ।

उपमंडलीय मजिस्ट्रेट राजस्व विभाग के तहसीलदारों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों, दिल्ली नगर निगमों के सफाई निरीक्षकों, सामान्य लाईसेंसिंग निरीक्षकों तथा जन स्वास्थय निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति वन विभाग के वन्यप्राणी निरीक्षकों तथा उनसे उच्च पद के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेंगे।

उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट तथा सदस्य सचिव दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, अध्यक्ष दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को मासिक रिपोर्ट फाइल करेंगे।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

नोटः– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी निर्देशों का उलंघन उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है जिसमें पांच साल तक कारावास तथा/अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

चन्द्राकर भारती, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2017

No. F. 12(508)/Env./Ban on Manja/2015/64-81.—WHEREAS, article 48-A of the Constitution of India, inter-alia envisages protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country;

AND WHEREAS, during the kite flying, a lot of injury is caused to the people and birds on account of use of thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/ manja" or any other thread coated with glass/ metallic components. These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people and birds. It is, therefore, desirable to protect the people and birds from the fatal effects of the kite flying thread made out of plastic, nylon or similar such synthetic material including popularly known "Chinese thread/ manja" or any other thread coated with glass/ metallic components;

AND WHEREAS, during kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise. All these cut threads along with the kites remain on the land. Because of the very long life of the plastic materials and being non-biodegradable in nature, these threads become a cause of concern from environment point of view;

AND WHEREAS, extensive use of such kite flying thread which are non-biodegradable, conductors of electricity often result in flash-over on the power lines and sub-stations, which may cause power interruptions to consumers, straining and damaging electrical assets, causing accidents, injuries and loss of life;

AND WHEREAS, it is also a well known fact that the activity of the birds is at peak during 6:00 AM to 8:00 AM in morning and from 5:00 PM to 7:00 PM in evening and it is desirable to protect the birds including the vultures which are getting extinct day by day and classified as rare and endangered species, and there is a need to protect them from such fatal kite flying thread/ manja ;

AND WHEREAS, a draft notification, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 667(E) dated the 10th September, 1992, was published in the Delhi Gazette vide No. F. 12(508)/Env./Ban on Manja/2015/3494-3510 on 16th August 2016 by the Government, inviting objections and suggestions from all concerned in the stipulated time, i.e., 60 days from the date of publication of the said notification;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public with respect to the said draft notification, have been considered by the Expert Committee appointed by the Government;

Now, therefore, in order to prevent the adverse effects on human beings, cattle population, birds, soil and ecology and in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 667(E), dated 10th September, 1992, the Hon'ble Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues the following directions:-

Directions:-

1. There shall be complete ban on the sale, production, storage, supply, import, and use of kite flying thread made out of nylon, plastic or any other synthetic material including popularly known as "Chinese manja" and any other kite-flying thread that is sharp or made sharp such as by being laced with glass, metal or any other sharp materials in the National Capital Territory of Delhi.
2. Kite flying shall be permissible only with a cotton thread, free from any sharp/ metallic/glass components/ adhesives/thread strengthening materials.

Authorized Officers:-

The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction, namely:-

1. Officers of the rank Tehsildars and above of Revenue Department, Govt. of NCT of Delhi.
2. Officers of the rank Wildlife Inspectors and above of the Forest Department, Govt. of NCT of Delhi.
3. Officers of the rank Sub-Inspectors and above of Delhi Police.
4. Sanitary Inspectors, General Licensing Inspectors and Public Health Inspectors of the MCDs.

Monitoring:-

The Chairman and Member Secretary (DPCC) and the Sub-Divisional Magistrates of the respective area/ jurisdiction are authorized to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, as already empowered vide Notification no. 349 (E) dated 16th April, 1987 as amended up to date.

The Sub-Divisional Magistrates will take action on the basis of the report submitted by Tehsildars and above of Revenue Department, Sub-Inspectors and above of Delhi Police and Sanitary Inspectors, General Licensing Inspectors and Public Health Inspectors of the MCDs.

Member Secretary, DPCC will initiate action on the basis of the report of Wildlife Inspectors and above of the Forest Department.

Sub-Divisional Magistrates and Member Secretary, DPCC shall file monthly report to Chairman, DPCC.

This notification shall come into force on the date of its publication in Delhi Gazette.

Note : The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, or the rules made thereunder shall be punishable under section 15 of the said Act which include imprisonment upto five years and/or with fine which may be extended to Rs. One Lac or with both.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

CHANDRAKER BHARTI, Secy. (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.13 14:46:24 +05'30'